

नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय में

सुरक्षित : 24 मार्च 2014

निर्णित तिथि : 02 अप्रैल 2014

आप.अ. 1356/2012

साहिल

..... अपीलार्थी

द्वारा: सुश्री अनीता अब्राहम, अधिवक्ता।

बनाम

राज्य

..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री एम.एन.दुदेजा, अ.लो.अभि.

कोरम:

न्यायमूर्ति श्री एस.पी. गर्ग

न्या. श्री एस.पी. गर्ग

1. साहिल (अपीलार्थी) ने पुलिस थाना रंजीत नगर में दर्ज प्राथमिकी संख्या 107/10 से उत्पन्न सत्र मामला संख्या 48/10 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-फ़ास्ट ट्रक कोर्ट (सेंट्रल) के दिनांकित 01.08.2012 के निर्णय की वैधता और शुद्धता पर प्रश्न उठाया है, जिसके द्वारा उन्हें भा.दं.सं. 1860 की धारा 393/394/398 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी ठहराया गया था। दिनांकित 08.08.2012 के एक सजा आदेश द्वारा उन्हें भा.दं.सं. की धारा 393 के तहत जुर्माने के साथ सात साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई

गई; भा.दं.सं. की धारा 394 के तहत 2,500 रुपये के जुर्माने के साथ सात साल के लिए कठोर कारावास; भा.दं.सं. की धारा 398 के तहत सात वर्ष की कठोर कारावास और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत 1000/- रु के जुर्माने के साथ तीन वर्ष के कठोर कारावास का प्रावधान किया गया है। सभी सजाएं साथ-साथ संचालित होनी थीं।

2. अपीलार्थी-साहिल के खिलाफ अभियोग, जैसा कि आरोप पत्र में पता चला है, यह था कि दिनांक 05.06.2010 को लगभग 09.30 बजे शाम को मकान नंबर 3266, के सामने रंजीत नगर, उसने और उसके सहयोगियों (गिरफ्तार नहीं) ने पिस्तौल की नोक पर शिकायतकर्ता-अजय कुमार से लैपटॉप लूटने का प्रयास किया। लूट की वारदात में उसने स्वेच्छा से शिकायतकर्ता के बेटे अमित को चोट पहुंचाई। पुलिस तंत्र तब हरकत में आया जब घटना की सूचना दैनिक डायरी डीडी संख्या 28क (प्र.अभि.स.-12/क) द्वारा रात 9.45 बजे पुलिस स्टेशन रणजीत नगर द्वारा दी गई और दर्ज की गई है। जांच हैड कान्स्टेबल ज्ञान प्रकाश को सौंपी गई, जो कान्स्टेबल वीरेंद्र और कान्स्टेबल राकेश के साथ मौके पर गए। इसके बाद उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह भी उनके साथ शामिल हो गए। अजय ने घटनास्थल पर बेहोश पड़े अपीलार्थी की हिरासत उसके पास से बरामद पिस्तौल के साथ जांच अधिकारी को सौंप दी। पीड़ितों और अपीलार्थी को चिकित्सा जांच के लिए भेजा गया। शिकायतकर्ता का बयान (प्र.अभि.स.-1/क) दर्ज करने के बाद, जांच अधिकारी ने प्राथमिकी दर्ज की। तथ्यों से परिचित गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सबूतों को जांच के लिए न्यायायिक प्रयोगशाला भेजा गया था। जांच पूरी होने के बाद,

अपीलार्थी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया; उस पर विधिवत आरोप लगाया गया और विचारण के लिए लाया गया। अभियोजन पक्ष ने अभियोगों को साबित करने और अपीलार्थी के अपराध को स्थापित करने के लिए 13 गवाहों से पूछताछ/जाँच पड़ताल की। 313 बयान में, अपीलार्थी ने झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया का तर्क निवेदित किया और अपराध में मिलीभगत से इनकार किया। विचारण के परिणामस्वरूप उसे पूर्वोक्त रूप से दोषी ठहराया गया गया। यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि अपीलार्थी को आयुध अधिनियम की धारा 39 के तहत मंजूरी के अभाव में आयुध अधिनियम की धारा 25 के तहत अभियोगों से दोषमुक्त कर दिया गया था और राज्य ने उक्त दोषमुक्ति को चुनौती नहीं दी थी।

3. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागम को सुना है और फाइल की जांच की है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आग्रह किया कि विचारण न्यायालय ने अपने सही और उचित परिप्रेक्ष्य में सबूतों का मूल्यांकन नहीं की और स्वतंत्र पुष्टि के बिना इच्छुक गवाहों की गवाही पर भरोसा करने में गंभीर त्रुटि की है। मौके पर मौजूद कोई भी सार्वजनिक व्यक्ति, जिसने कथित तौर पर अपीलार्थी को पीटा था, जांच में शामिल नहीं था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भा.दं.सं. की धारा 398 लागू नहीं हुई और यह साबित हो गया कि अपीलार्थी के कब्जे से कथित तौर पर बरामद 'पिस्तौल' खाली थी और उसमें कोई कारतूस नहीं था। उसका 'इस्तेमाल' लूट करने के लिए नहीं किया गया। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने

हमलावरों की सही संख्या और जिस मोटर साइकिल पर वे घटनास्थल पर पहुंचे थे, उसके संबंध में अपने बयान में महत्वपूर्ण सुधार किया है। उसने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि यह केवल झगड़े का मामला था और अपीलार्थी को इस मामले में झूठा फंसाया गया था। विद्वान अ.लो.अभि ने आग्रह किया कि आक्षेपित निर्णय शिकायतकर्ता और उसके बेटे की ठोस और विश्वसनीय गवाही पर आधारित है, जिनके पास झूठा फंसाने के लिए कोई पूर्व दुश्मनी नहीं थी।

4. घटना रात करीब 09.30 बजे घटित हुई है। घटना के संबंध में पुलिस थाना रंजीत नगर में दैनिक डायरी (डी.डी. नंबर 28/क) रात 09.45 बजे दर्ज की गई थी। यह सूचित किया गया था कि एक व्यक्ति बंदूक के साथ मकान नंबर 3266, रंजीत नगर में झगड़ा कर रहा था। दोनों पीड़ितों-अमित और अपीलार्थी को चिकित्सा जांच के लिए डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया। साहिल की चिकित्सा विधिक मामला (प्र.अभि.स.-11/क) अस्पताल में रात 10.45 बजे पहुंचने का समय दर्ज करते हैं। यह घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति की पुष्टि करता है। अभि.स.-1 (अजय कुमार) और अभि.स.-2 (अमित) को डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया और उनके चिकित्सा विधिक मामला (क्रमशः अभि.स.-6/ख और प्र.अभि.स.-6/क) रात 11.55 बजे आगमन का समय दर्ज करते हैं। शिकायतकर्ता का बयान (प्र.अभि.स.-1/क) दर्ज करने के बाद, जांच अधिकारी ने पृष्ठांकन/रुक्का (प्र.अभि.स.-13/क) द्वारा लगभग 01.40 बजे प्राथमिकी दर्ज की। स्पष्टतया है, प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करने में कोई असाधारण देरी नहीं हुई थी।

शिकायत में, अजय कुमार ने घटना का विस्तृत विवरण दिया और खुलासा किया कि कैसे और किन परिस्थितियों में अपीलार्थी और उसके सहयोगियों ने कार की पिछली सीट पर पड़े उनके लैपटॉप को लूटने का प्रयास किया, जब वे अपने मकान नंबर 3266, रंजीत नगर के पास पहुंचे थे। उन्होंने यह भी बताया कि इस प्रक्रिया में, पिस्तौल के बट के साथ हमलावर ने उनके बेटे को चोट पहुंचाई। अपीलार्थी के सहयोगी मौके से भागने में सफल रहे। अभि.स.-1 के तौर पर अपने न्यायालय बयान में अजय कुमार ने पुलिस को पहले बताए गए बयान को बिना किसी बड़े बदलाव के साबित कर दिया। उसने साहिल की पहचान हमलावरों में से एक के तौर पर की, जो मोटरसाइकिल पर आया था और उस पर पिस्तौल तान दी थी। डर के कारण अभि.स.-1 (अजय कुमार) अपने घर चला गया। अपीलार्थी ने कार की पिछली सीट पर रखे लैपटॉप, दस्तावेज और कुछ नकदी से भरे बैग को उठाने का प्रयास किया। उसने पिस्टल की बट से अमित को भी चोट पहुंचाई। अभि.स.-1 ने अपीलार्थी को तब पकड़ा जब उसने लैपटॉप लेने के लिए कार के अंदर अपनी गर्दन डाल दी थी। लोगों ने उन्हें खूब पीटा था। उसके साथियों ने चाकू और पिस्तौल जैसे हथियारों की मदद से लोगों को धमकाया और मौके से भागने में सफल रहे। पुलिस के पहुंचने पर अपीलार्थी की हिरासत के साथ पिस्टल (प्र.स.-1) को सौंप दिया गया। प्रतिपरीक्षा में, साक्षी ने स्वीकार किया कि सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने पूरे मास्क वाले हेलमेट पहने हुए थे। उनके बेटे के माथे पर चोट आई थी। उन्हें पहले कैलाश नर्सिंग होम नामक एक निजी अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद उन्हें चिकित्सा परीक्षण के लिए डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले

जाया गया। लोगों में से किसी ने पुलिस को 100 नंबर सूचना दी थी। साक्षी ने गवाही दी कि उसने पिस्तौल को घटनास्थल पर और पुलिस स्टेशन में भी देखा था। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि अभियुक्त घटनास्थल पर मौजूद नहीं था या उसे मामले में झूठा फंसाया गया था। इस साक्ष्य की गवाही का अवलोकन करने से पता चलता है कि लंबी और गहन प्रतिपरीक्षा के बावजूद, उसके द्वारा दिए गए बयान को खारिज करने के लिए कोई भी ठोस विसंगति नहीं पाई जा सकी। एक निर्दोष को झूठा फंसाने के लिए उसे कोई अंतरस्थ हेतु नहीं दिया गया था। प्रतिपरीक्षा में साक्षी की उपस्थिति से इनकार नहीं किया गया था। साक्षी को कोई सुझाव नहीं दिया गया कि कैसे और किस के तहत अपीलार्थी, जिसके शरीर पर चोटें आई थीं, को उसके घर के बाहर पकड़ लिया गया। अपीलार्थी ने बिना किसी विशेष उद्देश्य के अपने घर के पास मौजूद रहने का कोई विशेष कारण नहीं बताया। अभि.स.-2 (अमित-पीड़ित) ने सभी ठोस तथ्यों पर अभि.स.-1 की पूरी तरह से पुष्टि की और अपीलार्थी-साहिल की पहचान उन हमलावरों में से एक के रूप में की, जिन्होंने डकैती करने का प्रयास किया था और इस प्रक्रिया में पिस्तौल के बट से उसके माथे पर चोट पहुंचाई थी। प्रतिपरीक्षा में, उसे दं.प्र.सं की धारा 161 के तहत उसके बयान (प्र.अभि.स. 2/घ क) के साथ कुछ तथ्यों का सामना कराया गया था। उन्होंने फिर दावा किया कि उन्होंने पिस्तौल को घटना स्थल के साथ-साथ पुलिस स्टेशन में भी देखा था। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि अभियुक्त घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। फिर भी, प्रतिपरीक्षा में कोई ऐसी कमी सामने नहीं आई है जिससे उनके बयान को खारिज किया जा सके। चास्मदीत

गवाही चिकित्सा साक्ष्य के अनुरूप है। चि.वि.मा.(प्र.अभि.स.-6/क और प्र.अभि.स.6/ख) से पता चलता है कि अमित और अजय दोनों की मेडिकल जांच दिनांक 05.06.2010 को प्र.अभि.स.-6 (डॉ. शेखर यादव) द्वारा की गई थी। अपीलार्थी को आर.एम.एल. अस्पताल भी ले जाया गया और चि.वि.मा. (प्र.अभि.स.-11/क) द्वारा अभि.स.-11 (डॉ. रंजीत सिंह) द्वारा जांच की गई। अपीलार्थी ने 313 बयान में दोषी ठहराने वाली परिस्थितियों के लिए स्वीकार्य स्पष्टीकरण नहीं दिया। उन्होंने असंगत और परस्पर विरोधी बचाव किया और आरोप लगाया कि उस दिन, वह अपनी मोटर-साइकिल पर जा रहे थे, जिसने शिकायतकर्ता की कार को टक्कर मार दी और उनके और शिकायतकर्ताओं-अजय और अमित के बीच झगड़ा हुआ। उक्त झगड़े में उसके हाथ, माथे और कान के पीछे चोटें आई हैं। हालांकि, अपीलार्थी ने धारा 313 के तहत अपने बयान में पहली बार उसके द्वारा लिए गए बचाव को साबित करने के लिए किसी भी गवाह की जांच नहीं की। प्रतिपरीक्षा में अभि.स.-1 और अभि.स.-2 के समक्ष ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया। बल्कि उनके समक्ष यह सुझाव दिया गया था कि अभियुक्त मौके पर मौजूद नहीं था और उसे झूठा फंसाया गया था। अभियुक्त ने उस मोटर साइकिल का नंबर/संख्या नहीं बताया/बताई जिसने कथित तौर पर शिकायतकर्ता की कार को टक्कर मारी थी। मौके से ऐसी कोई मोटर साइकिल बरामद नहीं हुई। विचारण न्यायालय द्वारा बचाव पक्ष/प्रतिरक्षा पक्ष को वैध कारणों से पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था।

5. स्वतंत्र सरकारी साक्षी/लोक साक्षी से पूछताछ न करना अप्रासंगिक है, क्योंकि अभि.स.-1 और अभि.स.-2 ने स्पष्ट रूप से पहचान की है और घटना में अभियुक्त द्वारा निभाई गई विशिष्ट भूमिका को साबित किया है। यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं है कि इस घटना को ऐसे किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति द्वारा देखा गया था जो बाद में हंगामा सुनकर मौके पर इकट्ठा हो गए थे। अभियोजन पक्ष ने अभिलेख न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट (प्र.अभि.स.-13/घ) को साबित किया है जिससे पता चला है कि अभियुक्त से बरामद पिस्तौल चालू हालात में थी। यह सच है कि बाद में जब पिस्तौल खोला गया, तो वह खाली पाई गई थी। यह अभिलेख पर आया है कि अपराध कारित के समय अपीलार्थी अकेला नहीं था और उसके सहयोगी मौके से भागने में सफल रहे। वे कथित तौर पर विभिन्न हथियारों से लैस भी थे। सिर्फ इसलिए कि अभियुक्त से बरामद पिस्तौल (प्र.अभि. -1) प्रासंगिक समय पर खाली थी, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह 'घातक' नहीं थी, खासकर जब साहिल को आयुध अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में लाइसेंस के बिना अनधिकृत रूप से हथियार का उपयोग करने के लिए आयुध अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी ठहराया गया था। यह अमेरिका निर्मित पिस्तौल थी। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा उजागर की गई छोटी-मोटी विसंगतियां और सुधार अभियोजन पक्ष के मामले की मूल संरचना को प्रभावित नहीं करते हैं। पीड़ितों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि अपीलार्थी जिस 'घातक' हथियार से लैस था, वह भरा था या नहीं। इस हथियार के 'बट' का इस्तेमाल पीड़ित-अमित को चोट पहुंचाने के लिए किया गया था। भा.दं.सं. की धारा 398 के प्रयोजनों के

लिए, 'घातक' हथियार का होना ही पर्याप्त है। मुझे इस अभिवाक में कोई दम कोई वास्तविकता नजर नहीं आती कि भारतीय दंड संहिता की धारा 398 लागू और सिद्ध नहीं होती है। भा.दं.सं की धारा 398 में विहित निर्धारित न्यूनतम सजा को संशोधित या बदला नहीं जा सकता है। दिनांकित 06.11.2012 की नामावली सूची में अपीलार्थी की ऐसे चार अन्य मामलों में संलिप्तता का पता चलता है। सजा के आदेश को अबाधित छोड़ दिया गया है, सिवाय इसके कि भा.दं.सं. की धारा 393/394 के तहत जुर्माना अदा न करने पर सजा में चूक पंद्रह दिन (15 दिन) और आयुध अधिनियम की धारा 27 के तहत दस दिन (10 दिन) होगी।

6. अपील का निपटान उपर्युक्त शर्तों में किया जाता है। विचारण न्यायालय के अभिलेख को इस आदेश की एक प्रति के साथ तुरंत वापस भेजा जाए।

(श्री एस.पी.गर्ग)
न्यायाधीश

अप्रैल 02, 2014 एस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।